न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-263RAAJodhpur2022-104RTA223 Chainsingh ors Vs Moolsingh etc

1. चैनसिंह पुत्र श्री अमरसिह जाति राजपूत निवासी गांव– बेलवा राणाजी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज०)
2. अचलसिंह पुत्र श्री अमरसिंह के कायम मुकामान्:–
   2.1. भंवरसिंह पुत्र श्री अचलसिंह,
   2.2. गेनसिह पुत्र श्री अचलसिंह,
   दोनों जातियान् राजपूत, निवासी गांव बेलवा राणाजी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर (राज०)

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. मूलसिंह पुत्र श्री पूंजराजसिंह,
2. करणसिंह पुत्र श्री पूंजराजसिंह
3. पूंजराजसिंह पुत्र श्री कुम्भसिंह.
4. रूगनाथसिंह पुत्र श्री कुम्भसिह
5. पोलसिंह पुत्र श्री कुम्भसिह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासी गांव बेलवा राणाजी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज०)
6. हरीसिह पुत्र श्री मोतीसिह के कायम मुकामान्
   6.1. राणीदानसिह पुत्र स्व० श्री हरीसिंह
   6.2. उत्तमसिह पुत्र स्व० श्री हरीसिंह
   6.3. सायर कवर पत्नी स्व० श्री हरीसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण गांव बेलवा राणाजी तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज०)
7. इन्द्रसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह के कायम मुकाम:–
   7.1. भोमसिह पुत्र स्व. श्री इन्द्रसिह
   7.2. जमन कवर पत्नी स्व. श्री इन्द्रसिह
   7.3. जसवंतसिंह पुत्र स्व. श्री इन्द्रसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण गांव बेलवा राणाजी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर (राज०)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
9. लिखमाराम पुत्र श्री पुरखाराम के कायम मुकामान्:–
   9.1. शिवाराम पुत्र स्व. श्री लिखमाराम
   9.2. नरसिंगाराम पुत्र स्व. श्री लिखमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9.3. पारसराम पुत्र स्व. श्री लिखमाराम,
9.4. गुनाराम पुत्र स्व. श्री लिखमाराम
सभी जातियान् माली, निवासीगण गाव बेलवा खत्रियान्, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मई 2012 सहायक कलक्टर शेरगढ राजस्व मूल वाद संख्या 147/2008 चैनसिंह व अन्य बनाम मूलसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री अजीत दैया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 03 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 147/2008 अनवान चैनाराम व अन्य बनाम मूलसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मई 2012 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 22 जनवरी 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम बेलवा राणाजी के खसरा नं. 1126 रकबा 39.03 बीघा के संबंध में रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादीगण का वाद जरिये अबेटमेंट ,खारिज कर दिया,, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलांट/वादीगण द्वारा मृत व्यक्ति प्रतिवादी संख्या–06

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्रीमती पैप कंवर बेवा कुम्भसिंह के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के कारण अपीलान्ट/वादीगण का वाद एबेट हो चुका है। विद्वान विचारण न्यायालय को यह निर्देश देने चाहिए थे कि अगर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर दिया गया है तो उस सम्बन्धित मृत व्यक्ति के कायम मुकामान् को पक्षकार मुकदमा बनाने हेतु आदेशित करके, संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया जाता अथवा अपीलांट/वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद को लौटाकर उन्हीं आधारों पर नया वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता, परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं करके अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज करने में भारी कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में स्पष्ट मत रहा है कि "एबेटमेन्ट के आधार पर वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय को लिबरल अप्रोच अपनानी चाहिए न कि तकनीकी आधार पर जोर देना चाहिए।" माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2013 डी.एन.जे(एस.सी.) पेज 185 में यह मत प्रतिपादित किया है कि Civil Procedure Code] 1908&O 22- Rr 4(4), 9- Suit for declaration partition and injuction and Death of one of the defendants- LR's of deceased 'V' not substituted- Suit abated and dismissed- First Appellate Court set aside the judgment and affirmed by the High Court-Deceased 'V' was proceeded ex-parte and not filed the written statement substitution of LR's of such a defendant could be ligitimately dispensed with - Court has power u/o- 22- R 4 (4) to exempt substitution-Apex Court has adopted a liberal approach in setting aside the abatement of suits- Held, Appeal fails and dismissed. विद्वान विचारण न्यायालय ने जिस मृत व्यक्ति प्रतिवादी संख्या–06 श्रीमती पैप कँवर बेवा कुम्भसिंह के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने के कारण अपीलान्ट/वादीगण का वाद एबेट होना मानकर खारिज किया है, उसके कायम मुकामान् व वारिसान् पहले से ही दावें में प्रतिवादी संख्या–03 ता 05 के रूप में पक्षकार मुकदमा थे और इनके अलावा उसके कोई अन्य वारिसान् नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय को चाहिए था

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि वह प्रतिवादी संख्या–06 के नाम के आगे ''मृतक'' शब्द अंकित करके दावें की कार्यवाही को आगे बढ़ाते, परन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं करके अपीलान्ट वादीगण का दावा खारिज करने में भारी कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है। न्यायिक प्रक्रिया न्याय दिलाने में साधक है, बाधक नहीं। किसी भी पक्षकार को तकनीकी या देरी के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। न्याय की मंशा पक्षकारान् के मध्य विवादित बिन्दुओं पर सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने की है। मौजूदा प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट/वादीगण द्वारा जो तकनीकी भूल हुई है, उसके लिए बेकसूर पक्षकारान् को दण्डित नहीं किया जा सकता है। यानि कि, मृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है, उस तकनीकी भूल को सुधार करवाया जाकर अपीलान्ट/वादीगण के दावे का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं करके अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज करने में भारी कानूनी एवम् वाक्याती भूल की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा LR's of Bhera Ram & Ors- Versus LR's Jai Narayan 2008(3) DNJ-(Raj) 1498 में धारित किया है कि Civil Procedure Code 1908& O-22- R-4- Lapse on the part of the appellant but cannot be said wilful act Appellant cannot be penalized for the mistake of advocate.

विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अपीलाब्ट/वादीगण व रेस्पोडेन्ट/वादी स्व. लिखमाराम के वारिसान् विवादित भूमि में संयुक्त स्वामी है, और उनका हित एक समान है। रेस्पोडेन्ट/वादी स्व. लिखमाराम के वारिसान् वादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार, काश्तकार है और उनका हित भी अपीलान्ट/वादीगण की तरह ही विवादित भूमि से विपक्षीगण को बेदखल करके कब्जा प्राप्त करवाने में है, परन्तु वे अपील में हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें इस जैर–अपील में रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। हालांकि उक्त जैर–अपील रेस्पोडेन्ट/वादी स्व लिखमाराम के वारिसान् के हितार्थ प्रस्तुत की गई है, और इसमें उनका हित भी निहित है, तकनीकी रूप से चूंकि रेस्पोडेन्ट/वादी स्व. लिखमाराम के वारिसान् अपील में हस्ताक्षर हेतु उपलब्ध नहीं है और भविष्य में सभी संयुक्त खातेदारों

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की ओर से अपील प्रस्तुत करने का अनावश्यक तकनीकी विवाद न हो, इसी वजह से रेस्पोडेन्ट वादी स्व. लिखमाराम के वारिसान को उक्त जैर–अपील में परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है, और यह अपील सभी संयुक्त खातेदारों के हितार्थ रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट वादीगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मुकर्रर अपीलान्ट/वादीगण के अधिवक्ता ने अपीलान्ट/वादीगण को यह हिदायत दी थी कि, वे इस मुकदमें की पैरवी करेंगे, अपीलान्ट/वादीगण को प्रत्येक पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है और जब भी मुकदमें में अपीलान्ट/वादीगण की आवश्यकता होगी, तो बुला लिया जायेगा। अपीलान्ट वादीगण के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कहने पर अपीलान्ट/वादीगण ने उन पर भरोसा कर लिया और यही समझते रहे कि, उक्त प्रकरण में अधिवक्ता पैरवी कर रहे है, आवश्यकता होने पर अधिवक्ता अपीलान्ट/वादीगण को बुला लेंगे। इसके बाद जब–जब भी अपीलान्ट/वादीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो, अधिवक्ता ने हर बार अपीलान्ट/वादीगण को यही कहा कि, मुकदमें में पैरवी चल रही है और आवश्यकता होने पर अपीलान्ट/वादीगण को बुला लिया जायेगा। अपीलान्ट/वादीगण ने भी अपने अधिवक्ता की बातों पर भरोसा कर लिया और यहीं समझते रहे है कि, आवश्यकता होने पर अपीलांद/वादीगण को उनके अधिवक्ता द्वारा बुला लिया जायेगा। इसके उपरान्त जब काफी समय तक अधिवक्ता ने अपीलान्ट/वादीगण को उनके प्रकरण के समय में किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी, और न ही सूचना देकर बुलाया तो, अपीलांट/वादीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय में नियुक्त किये गये अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और अपने दावे के सम्बन्ध में जानकारी चाही, जिस पर उन्होनें अपीलान्ट/वादीगण को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी, और टालमटोली का जवाब देकर वापिस भेज दिया। इसके बाद अपीलांद/वादीगण ने दुसरे अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने प्रकरण के बारे में जांच–पड़ताल करवाई तो, उस दुसरे अधिवक्ता ने जांच–पड़ताल कर अपीलान्ट/वादीगण को यह जानकारी दी कि, अपीलांट/वादीगण का दावा काफी समय पूर्व दिनांक 23.05.2012 को ही खारिज हो चुका है। इसके उपरान्त तुरन्त ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलान्ट/वादीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2012 की नकल हेतु आवेदन करवाया, और नकल प्राप्त होने पर अपीलान्ट/वादीगण को यह जानकारी हुई कि अपीलान्ट/वादीगण का दावा मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने तथा अधिवक्ता अपीलान्ट/वादीगण द्वारा कई अवसर प्राप्त करने के बावजूद जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण एकपक्षीय सुनवाई करते हुए वाद खारिज कर दिया गया है। इससे पूर्व अपीलान्ट/वादीगण को वाद खारिज होने की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट/वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत करने के कुछ समय पूर्व ही विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई है। अपीलान्ट/वादीगण ने जानबूझकर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने में देरी नहीं की है। विधि के सुस्थपित सिद्धान्त कि "मर्यादा विधि अधिकार बाधित करती है, न कि उपचार को" दृष्टिगत रखा जाना विधि सम्मत् एवम् न्यायसंगत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तकनीकी आधारों पर पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट/वादीगण के साथ घोर अन्याय हुआ है। अपीलान्ट/वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हक, अधिकारों से वंचित हो रहे है, जिस कारण विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जावे एवं गुणावगुण पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या–147/2008, बअनवान चैनसिंह व अन्य बनाम मूलसिंह इत्यादि में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2012 को निरस्त फरमाया जावे

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी पेप कंवर सन् 2003 में फौत हो चुकी थी। प्रतिवादीगण द्वारा इस तथ्य की जानकारी विचारण न्यायालय के समक्ष लाये जाने के बावजूद एवं विचारण न्यायलाय द्वारा वादीगण को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी वादीगण की ओर से कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गई तथा न ही वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। यह उल्लेखनीय है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने पर उन मामलो में व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 22 नियम 04 लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विहित प्रावधानों अनुसार वादीगण के वाद को विधिसम्मत रूप से जरिये अबेटमेंट खारिज किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित होने के 6 साल बाद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है, जिसका कोई सद्भाविक एवं विश्वसनीय कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर सारहीन एवं म्याद बाधित पाये जाने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद का अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण 2008(3) DNJ-(Raj) 1498 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता हैं कि अपीलांट्स/वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुति के वक्त मृतक प्रतिवादी पेपकंवर को वाद में पक्षकार संयोजित किया गया। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 रेडवीथ धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर वादीगण का वाद एबेट हो जाने व मेंटनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का मेंटनेबल नहीं होने तथा जरिये अबेटमेंट वाद खारिज किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मृतक प्रतिवादी पेपकंवर बेवा कुंभसिंह के विधिक वारिसान् प्रतिवादी संख्या तीन से पांच पूर्व से ही वाद में पक्षकार संयोजित है। न्यायिक उद्धरण 2013 डी.एन.जे.(एस.सी.)185 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एबेटमेंट पर न्यायालय को नरम रूख अपनाते हुए आदेश 22 नियम 4(4) के तहत पक्षकारान् के प्रतिस्थापन की छूट प्रदान की जानी चाहिए। विचारण न्यायालय द्वारा वाद में मृतक प्रतिवादी पेप कंवर के वारिसान् के पहले से ही रेकर्ड मौजूद होने के तथ्य पर गौर किये बिना वादी गण के वाद को केवल प्रतिवादी संख्या छः के विरूद्ध अबेट न मानकर संपूर्ण वाद को ही जरिये अबेटमेंट खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों एवं न्याय की मूल मंशा के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 147/2008 अनवान चैनाराम व अन्य बनाम मूलसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 मई 2012 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादीगण को आदेश 22 नियम 04 सीपीसी के प्रावधानों के तहत वादीगण को मृतक प्रतिवादी संख्या 6 के कायम मुकाम की कार्यवाही(यदि अन्य कोई वारिसान् हो तो) हेतु अवसर प्रदान कर वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर